न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 80/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2021/776

1. श्री रोड़ा पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी– सिंहाड़,
2. गमाना पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
3. लालु पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
4. शंकरलाल पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
5. पृथ्वीराज पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
6. बाबरू पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
7. देवीलाल पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
8. मोतीबाई पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
9. हीराबाई पिता स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,
10. नंदूबाई पत्नि स्व. श्री मावा मीणा, आयु–वयस्क, निवासी–सिंहाड़,

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 05.07.2022

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिंहाड़, पटवार हल्का सिंहाड़, भू–अभिलेख निरीक्षक कुण्डई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी परिशिष्ठ (क) आराजी नम्बर 274, 275, 277, 278, 317, 318, 319, 320, 321 किता 09 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा स्थित हैं जिस पर प्रार्थीगण एवं उनके [illegible] से काश्त करते चले आ रहे है। परिशिष्ठ (ख) आराजी [illegible] 05 बिस्वा आराजीयात में 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम [illegible] हिस्से बराबर से खातेदार [illegible] से दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण की जाति सेहवन से मीणा के स्थान पर रावत दर्ज [illegible] में नकल जमाबंदी पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. यह कि मौजा सिंहाड़, पटवार हल्का सिंहाड़, भू–अभिलेख निरीक्षक कुण्डई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खसरा नम्बर 757/483 रकबा 3.2500 हैक्टेयर स्थित हैं जो वर्तमान रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम पर हिस्से बराबर से खातोरी हक से दर्ज है, जिसमें प्रार्थीगण की जाति मीणा के आगे कोष्टक में रावत गलत रूप से दर्ज है। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि प्रार्थीगण का मूल गांव– धावड़िया, तहसील– भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) है। प्रार्थीगण के मोरूस ग्राम धावड़िया से ग्राम सिंहाड़ में आकर बस गये थे। ग्राम– धावड़िया एवं ग्राम सिंहाड़ दोनों ही स्थान पर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की पेतृक कृषि आराजीयात स्थित है।

4. यह कि प्रार्थीगण कि जाति मीणा है एवं प्रार्थीगण के मूल गांव धावड़िया में प्रार्थीगण की जो पेतृक आराजीयात स्थित है, उसमें राजस्व रेकर्ड के अन्दर प्रार्थीगण के खानदान के सभी व्यक्तियों की जाति सही रूप से मीणा ही दर्ज है।

5. यह कि कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क) में वर्णित आराजीयात् में से आरजी नम्बर 317,318,319,320,321 कुल किता 05 क्षेत्रफल 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण में बंदोबस्त सम्वत् 2012 के समय राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के मोरूस मावा वल्द पुरा के आगे सेहवन से जाति मीणा के स्थान पर रावत दर्ज हो गई, जिससे प्रार्थीगण के मोरूस मावा के मरणोपरान्त उनकी विरासत से प्रार्थीगण की जाति भी वर्तमान राजस्व अभिलेख में गलत रूप से रावत दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण की जाति रावत के स्थान पर उपरोक्त आराजीयात में सही रूप से मीणा अंकित होनी चाहिए।

6. यह कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क) में अंकित अन्य आराजी नम्बर 274,275,277,278 कुल किता 04 क्षेत्रफल 03 बीघा भूमि संपूर्ण एवं परिशिष्ठ (ख) में अंकित आराजी नम्बर 276 क्षेत्रफल 05 बिस्वा का 1/3 हिस्सा प्रार्थीगगण के मोरूस मावा पिता पुरा मीणा द्वारा खराद किया गया, जिसमें भी प्रार्थीगण के मोरूस मावा पिता पुरा के आगे सेहवन से जाति मीणा के स्थान पर रावत दर्ज हो गई, जिससे उपरोक्त आराजीयात में भी प्रार्थीगण के मोरूस मावा के मरणोपरान्त उनकी विरासत से प्रार्थीगण की जाति भी वर्तमान राजस्व अभिलेख में गलत रूप से रावत दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण की जाति रावत के स्थान पर उपरोक्त आराजीयात में सही रूप से मीणा अंकित होनी चाहिए

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजी में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 से 6 की जाति मीणा सही रूप से दर्ज है, परन्तु मीणा के आगे कोष्टक में रावत गलत रूप से अंकित किया हुआ है, जिससे कोष्टक में अंकित रावत को हटाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

8. यह कि प्रार्थीगण की जाति मीणा के अन्दर कई सारे व्यक्तियों को रावत जाति के नाम से पुकारा जाता है, जिससे इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 व 2 में अंकित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में सेहवन से जाति रावत अंकित हुई है, जबकि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के मोरूस मीणा जाति के हैं। प्रार्थीगण के मूल गांव धावड़िया में स्थित पेतृक आराजीयात में पूरे खानदान की जाति मीणा दर्ज है, प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमियों में भी प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज है, प्रार्थीगण के समस्त राजकीय दस्तावेजों में भी प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज है।

9. यह कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति गलत रूप से रावत दर्ज होने से एवं कलम नम्बर 2 में अंकित आराजी में प्रार्थीगण की जाति मीणा के आगे कोष्टक में रावत अंकित होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी के समक्ष दिनांक 07.01.2021 को प्रार्थीगण की जाति को शुद्ध कर मीणा अंकित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से जाति दुरस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीण्डर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिंहाड़ के खाता संख्या 118 किता 9 रकबा 19.13 बीघा, खाता संख्या 119 किता 1 रकबा 0.05 बीघा जमाबन्दी संवत् 2068–71 का हवाला दिया गया। उक्त जमाबंदी के नवीन सेटलमेन्ट के बाद जमाबंदी संवत् 2078–81 खसरा नं. 119 किता 1 रकबा 0.0500 है, खाता संख्या 120 किता 29 रकबा 4.2500 हैक्टेयर नवीन खाते दर्ज है। पुरानी जमाबंदी एवं नवीन जमाबंदी के उक्त दोनों खातों में जाति रावत है एवं ग्राम माण्डकला के खाता संख्या 220 किता 1 रकबा 4 बीघा जमाबंदी संवत् 2069–72 का नवीन पैमाईश बाद खाता संख्या 74 किता 1 रकबा 0.8600 हैक्टेयर संवत 2068–70 में खाता कायम किया गया है। तत्पश्चात वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत 2078–81 के खाता संख्या 219 किता 4 रकबा 0.8600 हैक्टेयर दर्ज है। यह कि उक्त जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या 220 में तथा जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 74 में जाति मीणा (रावत) दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 219 में जाति सिर्फ मीणा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का [illegible] किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया गया प्रार्थीगण के ग्राम सिंहाड़

Scanned by CamScanner

के दोनों खातों में जाति रावत है एवं ग्राम माण्डकला में जाति मीणा के साथ कोष्ठक में रावत भी दर्ज प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि प्रार्थी की जाति मीणा ही दर्ज है जमाबंदी में जाति रावत दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को भारी कठिनाईयां हो रही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत धावड़िया द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थीगण रोड़ा, गमाना, लालू, शंकर, पृथ्वीराज, बाबरू, देवीलाल, मोतीबाई, हिरकीबाई, नन्दूबाई बेवा मावा का पैतृक गांव धावड़िया है उनका पुरा खानादान एवं उनके बाप–दादों के वारिसान अभी गांव धावड़िया में मौजूद है इनके गांव धावड़िया पैतृक गांव के खातेदारी में जाति मीणा दर्ज है एवं ग्राम पंचायत सिंहाड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत ने प्रमाणित किया कि प्रार्थीगण की जाति मीणा ही है इनका पैतृक गांव धावडियां है जिसकी जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 109 किता 20 रकबा 3.8900 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता मावा पुत्र पुरा एवं उनके भाईयों के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम मावा पुत्र पुरा एवं समस्त परिवारजनों जाति मीणा दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थीगण गांव धावड़िया से गांव सिंहाड़ मे बस गए थे गांव धावड़िया में इनकी खातेदारी में जाति मीणा ही दर्ज है। इनके पूर्वजो की जाति मीणा ही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ, विधुत बिल, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी डायरी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय दस्तावेज, मृत्यू प्रमाण पत्र, पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टा एवं उनका पंजीयन दस्तावेज उक्त सभी दस्तावेजों में प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज है। अतः राजस्व रेकर्ड में जाति की भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में त्रुटि के कारण प्रार्थीगण की जाति मीणा की बजाय रावत हो गई।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार यह सिद्ध होता कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम धावड़िया से सिंहाड़ में बसे हुए है इनके पूर्वज एवं परिवारजन जो धावड़िया में रहते है उनके सभी राजस्व रेकर्ड में जाति मीणा दर्ज है प्रार्थीगण सिंहाड़ में जाने के बाद वहां के राजस्व रेकर्ड में एक जमाबन्दी में मीणा दर्ज ... इस क्षेत्र में इनकों रावत मीणा कहा जाता है जबकि इनकी ... ग्राम पंचायत धावड़िया एवं सिंहाड़ की रिपोर्ट एवं राजस्व एवं अन्य ... जैसे राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ, विधुत बिल, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी डायरी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय दस्तावेज, मृत्यू प्रमाण पत्र, पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टा एवं उनका पंजीयन दस्तावेज उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सभी दस्तावेजों में प्रार्थीगण की जाति मीणा दर्ज है। द्वारा प्रमाणित होता है अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट जिसमें धावड़िया एवं सिंहाड़ की जमाबन्दी में जहां जाति मीणा अंकन है उक्त निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–: : आदेश : :–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिंहाड़, पटवार हल्का सिंहाड़, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुण्डई तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 119 की आराजी संख्या 416 किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 120 की आराजी संख्या 400, 401, 417, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 किता 29 कुल रकबा 4.2500 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थीगण संख्या 1 से 10 श्री रोड़ा पुत्र मावा, गमाना पुत्र मावा, लालु पुत्र मावा, शंकरलाल पुत्र मावा, पृथ्वीराज पुत्र मावा, बाबरू पुत्र मावा, देवीलाल पुत्र मावा, मोतीबाई पुत्री मावा, हिराबाई पुत्री स्व. श्री मावा एवं मु. नंदूबाई पत्नि स्व. श्री मावा जाति रावत के स्थान पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की जाति **रावत के स्थान पर मीणा की जाती है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।**

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

5/7/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner